Golden Research Thoughts
ISSN 2231-5063
Impact Factor : 2.2052(UIF)
Volume-3 | Issue-3 | Sept-2013
Available online at www.lbp.world

GRT

# ग्रामीण विपणन प्रबन्धन एवं महिला सशक्तिकरण

**डॉ. रश्मि शिखा**
व्याख्याता, भूगोल विभाग, नागेन्द्र झा महिला
महाविद्यालय, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा.

**परिचयः–**

भारत जैसे कृषि प्रधान देश की आत्मा रूपी ग्रामीण क्षेत्रों में दैनिक आवष्यकताओं की वस्तुओं के क्रय–विक्रय का सुलभ साधन 'हाट' है। इस हाट को कहीं–कहीं 'पेठिया' भी कहा जाता है। विद्वानों ने इसे 'ग्रामिण सेवा केन्द्र' (Rural Service Centers) के नाम से अंकित किया है। सामान्यतः ये 'हाट' आवधिक होता हैं, तथा वैसे गावँ के मैदान में विकसित हो जाते हैं, जहाँ से आवागमन की सुविधा अत्यधिक गाँवों को जोड़ती है।

दरभंगा शहर के अन्तर्गत सिंहवाड़ा प्रखण्ड में कुल 100 गाँव हैं। यहाँ ग्रामीण विपणन प्रबन्धन के रूप में 16 हाट विकसित हुए हैं। हाट की भूमिका ग्रामीण सन्दर्भ में विशिष्ट स्थान रखती है और महिलाओं की भूमिका हाट के संन्दर्भ में विषिष्ट स्थान रखती है। ''ग्राम ग्रामीण हाट ग्रामीण महिला'' तीनों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध होता है। तीनों एक–दूसरे पर आश्रित होकर पुष्पित, फलित एवं विकसित होते हैं। इस संदर्भ में Agnes K. Musyaki एवं R.A. Obudho ने ग्रामीण हाट के लिए लिख है कि 'ग्रास रूट' स्तर प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से ग्रामीण हाट की विकासषील प्रवृति उसे खुशहाली की दिषा में गतिशील करती है।

- जनसंख्या घनत्व,
- उत्पाद की हाट में आवक क्रम,
- कृषि उत्पाद क्षमता,
- आकलन एवं निरूपण प्रक्रिया,

हाट में दुकान लगाने की क्षमता एवं प्रवृति तथा महिलाओं की भागीदारी मुख्यरूप से ग्रामीण विपणन प्रबन्धन को प्रभावित एवं प्रेरित करने वाले तत्व हैः क्योंकि यहाँ ''एक से भले दो'' वाली कहावत चरितार्थ होती है। अगर किसी क्षेत्र विशेष में सिर्फ 'पुरुष' की अपेक्षा 'स्त्री और पुरुष' दोनों व्यवसाय करें तो उस क्षेत्र का आर्थिक विकास तेजी से होगा।

सिंहवाड़ा प्रखण्ड में पुरूष एवं महिला दोनों की भागीदारी लगभग 60% एवं 40% की रहती है। 'हाट' में बिक्री होने वाले सामग्रियों में से अधिकांशतः घरेलू उत्पाद होते हैं, जो महिलाओं द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे सिलाई किया हुआ कपड़ा, मनिहारी का सामान, अंचार–अदौड़ी–झडूआ–मिक्स्चर, तिलौड़ी–पापड़, बांस का डलिया–पंखा, मिट्टी का खिलौना–बर्तन, चटाई–झाडू इत्यादि। इन चीजों का बाजार मुख्यतया औरतें ही करती है।

**Place Association**

सिंहवाड़ा प्रखण्ड में ग्रामीण विपणन प्रबन्धन के अन्तर्गत 65% विक्रेता उत्पादित वस्तुओं के व्यापक हेतु विभिन्न हाटों में व्यापार करते है, किन्तु लगभग 35% विक्रेता एक निष्चित ग्रामीण हाट पर निर्भर होकर अपना व्यापार सीमित रखते है। Fig. No. 1 विभिन्न हाटों पर महिलाओं का आवक–क्रम स्पष्ट करता है। एक हाट में केन्द्रित व्यापार करने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक होती है, जो अपने क्षेत्र तक ही सीमित रह जाती है। जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र का जितना विकास हो सकता है उतना नहीं हो पाता। सुदूर हाटों से व्यापार में महिलाओं की संख्या कम होने के निम्न कारण है :–

1. पारिवारिक जिम्मेदारी,
2. यातायात की अयुविधा,
3. समाजिक व्यवस्था,
4. संसाधन का अभाव,
5. षिक्षा का अभाव,
6. हाट स्थल पर पेय जल का अभाव,
7. बिजली का अभाव,
8. शेडयुक्त प्लेट फार्म का अभाव,
9. सुरक्षित शौचालय का अभाव एवं
10. संगठन का अभाव

1. **पारिवारिक जिम्मेदारीः**– परिवार को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु ग्रामीण महिला छोटे–मोटे रूप में कछ सामग्री का निर्माण कर व्यवसाय तो कर लेती है, किंतु परिवार के बच्चों एवं बुजुर्गो को देखना महिलाओं की जिम्मेदारी है। उन्हें छोड़कर व्यापक रूप में व्यापार करना उनके लिए सम्भव नहीं। अतः वह दूर हाटों में व्यापार करने से वंचित रह जाती हैं।
2. **यातायात की असुविधाः**– सुविधापूर्ण यातायात का गहरा सम्बन्ध व्यापार से होता है। सड़क एवं यातायात की समुजित सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में क्रेताओं एवं विक्रेताओं को 'हाट' तक पहुँचने में दुःखदायी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पुरूष वर्ग तो कुछ हद कर हाट पर पहुँच जाते हैं किन्तु महिला वर्ग, अपनी लम्बाई, पहनावा एवं निजी सवारी की कमी के कारण एक स्थान पर सीमित रह जाती है।
3. **सामाजिक व्यवस्थाः**– ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक दशा बहुत अच्छी नहीं है। पारिवारिक रिति–रिवाज, पर्दाप्रथा, शिक्षा का अभाव, लड़कियों को पराया धन समझना इत्यादि भी महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकता है। जबकि मनुस्मृति के अनुसार ''यन्त्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते देवताः। यत्रैतास्तु न पूजयन्त सर्वास्तत्रफलाः क्रिया''। अर्थात् यहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करत है और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती वहाँ सभी कार्य निष्फल होते है।
4. **संसाधन का अभावः**– गाँवों के अधिकाश निवासी कृषक होते हैं, जिनकी आय सीमित होती है। कृषक के अलावे गाँवों में राज कमाने और खाने वाले निम्नवर्गीय मजदूर भी निवास करने है, ये मजदूर दिन भर जो कमाते है उससे किसी तरह अपनी दैनिक आवष्यकताओं की पूर्ति करते है।

विक्रेताओं की प्रवृति यातायात पर व्यय करने की होती है, क्योंकि उच्चदर पर व्यय किया जाने वाला यातायात व्यय–लागत मूल्य एवं बाजार मूल्य के बीच ऐसी खाई पैदा करता है, जिसे ग्रामीण हाट के क्रेताओं की क्रय शक्ति संबंधी आर्थिक शक्ति रूपी पूल उसे पाटने में अक्षम होती है। ऐसे में सीमित पूँजी वाली महिला विक्रेताओं को अन्य

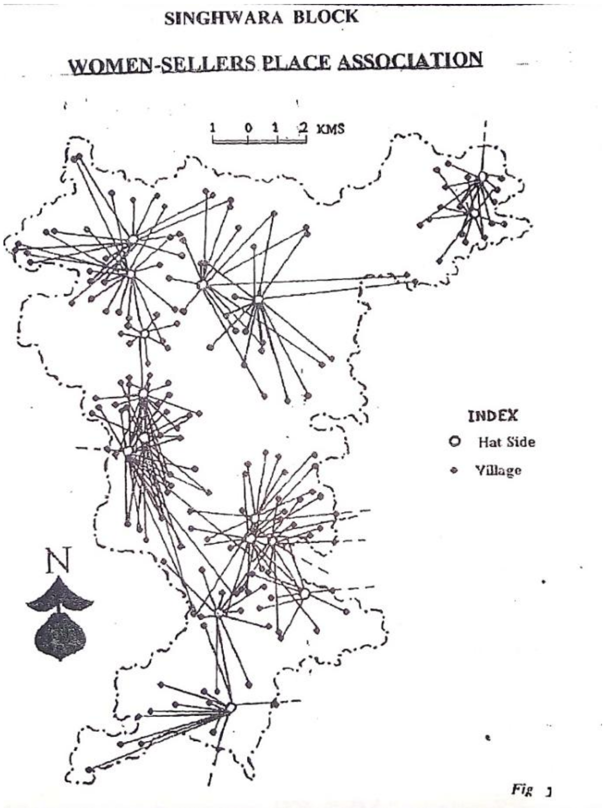


हाटों में लागत मूल्य बढ़ाने से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता और वे सिमित रह जाती है।

| Caste | Educational Standard | | Total Education in |
|---|---|---|---|
| कायस्थ | 60% | 40% | 77% |
| मुसलमान | 90% | 10% | 40% |
| ब्राह्मण | 75% | 25% | 56% |
| कुर्मी | 80% | 20% | 30% |
| धानुक | 85% | 15% | 36% |
| कुम्हार | 88% | 12% | 25% |
| बढ़ई | 90% | 10% | 20% |
| बड़ई | 90% | 10% | 20% |
| लोहार | 92% | 08% | 19% |
| कुजरा | 95% | 05% | 15% |
| चमाड़ | 99% | 01% | 10% |
| डोम | 99% | 01% | 10% |
| मेहतर | 99% | 01% | 10% |
| Source Based on personal research made by : **Rashmi Shikha** | | | |

5. **शिक्षा का अभावः**– U.N.O. कें अनुसार साक्षरता का तात्पर्य अपने दैनिक जीवन में साधारण कथन को समझने, लिखने और पढ लेने की क्षमता से है। 2001 के आंकड़ा के अनुसार सिंहवाड़ा प्रखण्ड में साक्षरता की प्रतिषत में पुरूषों की साक्षरता 72.6% तथा महिलाओं की साक्षरता 27.4% तक है।

साक्षरता का प्रतिशत विभिन्न जातियों में भिन्न–भिन्न प्रकार से है जो अग्रांकित एवं Fig. No. - 2 से स्पष्ट हैः–

6. **हाट स्थल पर पेयजल का अभावः**– प्रखण्ड स्तर पर लगभग सभी गाँवों में पेयजल की व्यवस्था देखने को मिलती हैं किन्तु किसी–किसी हाट में एक भी ट्यूबवेल नहीं है जिसके कारण रात में ठहरने वाले विक्रेताओं को पेयजल के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
7. **बिजली का अभावः**– शहर से 16 किमी0 पर अवस्थित इस प्रखण्ड के लगभग सभी गाँवों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है किन्तु हाटों पर बिजली की व्यवस्था ग्रामों से आए व्यापारियों को विलम्ब हो जाने पर रात्रि में विश्राम करने के लिए खुले मैदान में रात्रि के अंधेरे में रहने को विवष होना पड़ता है जो महिलाओं के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है।

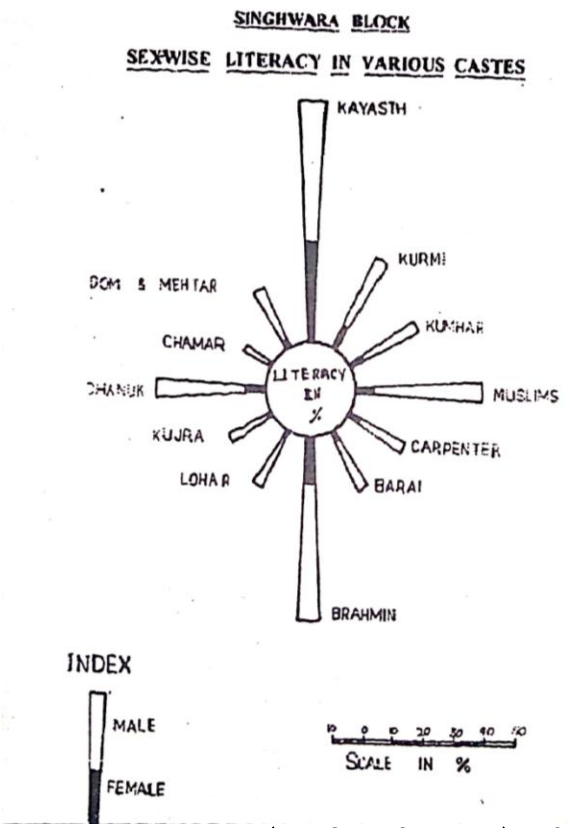


8. **शेडयुक्त प्लेट फार्म का अभावः**– आज के क्रमिक विकास के परिपेक्ष में दूर गाँव से आने वाली महिला विक्रेताओं के रात्रि विश्राम के लिए सुरक्षित व्यवस्था होनी चाहिए। अनाज एवं अन्य उत्पाद को सर्दा, गर्मी बरसात से सुरक्षित रखने के लिए समुचित व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ ज्यादातर हाट खुले मैदान में लगते है। कहीं–कहीं प्लेट फार्म तो बने है किन्तु उन पर छत नहीं है, सिर्फ सिमरी हाट एवं भड़वाड़ा हाट में शेडयुक्त प्लेट फार्म हैं। कड़ाके की गर्मी तथा बारिश के दिनों में छत वाले प्लेट फार्म के अभाव में यहाँ पर महिला विक्रेताओं को व्यापार करने में काफी असुविधा होती है।
9. **सुरक्षित शौचालय का अभावः**– महिला के लिए हर जगह सुरक्षित शौचालय की आवष्यकता है : चाहे वह स्थान हाट–बाजार हो, शिक्षा संस्थान हो या फिर सार्वजनिक स्थान हो। सिंहवाड़ा प्रखण्ड के अधिकांश हाटों पर शौचालय नहीं है, जिस कारण दूर गाँव की महिला विक्रेता रात्रि में हाट – स्थलों पर ठहरने से कतराती है।

यहाँ तक कि कई शिक्षण संस्थानों में भी लड़कियों के लिए अलग से शौचालय नहीं है। 'मानव संसाधन मंत्रालय' के अनुसार भारत में महज 34.72% स्कूलों में ही लड़कियों के लिए अलग से शौचालय है।

बिहार – 11.78%
मेघालय में – 7.78%
चंडीगढ़ – 89.19%
दिल्ली – दूसरे नम्बर पर है।

**10. महिला संगठन का अभावः**– ग्रामीण महिला करने को ता बहुत सारा छोटा–मोटा कार्य करती ह किन्तु संगठन के अभाव में उनका समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। महिलाओं को संगठित करने के लिए विभिन्न प्राकर की योजनाओं को क्रियान्वित करना आवश्यक हैं, जैसे–
1993 राष्ट्रीय महिला कोष की योजनाएँ – गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की
(1) ऋण योजना महिलाओं में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने के
(2) ऋण प्रोत्साहन योजना के लिए उत्पादन उपलब्ध करने सम्बन्धी सुविधाएँ
(3) स्व सहायता समूह योजना उपलब्ध कराकर उनकी आय बढ़ाना।
(4) विपणन वित्त योजना।

1995 इन्दिरा महिला योजना – ग्रामीण और शहरी बस्ती को महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वालम्बन प्रदान करना।

1998 पहिला स्वशक्ति योजना – महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक व सामाजिक रूप से सषक्त बनाना।

2000 स्त्री शक्ति पुरस्कार योजना– महिलाओं के अधिकारों के लिए संघष करने वाली महिलाओं को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित कर प्रोत्साहन देना।

डपर्युक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त केन्द्रीय कल्याण बोर्ड, राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा भी नारियों के लिए अनेक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना आवश्यक है। यथा –

(1) स्थानीय ग्रामीण स्तर पर महिला संगठन (महिला मण्डल)
(2) व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र,
(3) व्यवसायिक महिला सदन,
(4) जन सहयोग से ग्रामीण महिलाओं का प्रषिक्षण इत्यादि।

इस प्रकार 'हाट' से सुशोभित ग्राम में कृषिजन्य उत्पाद के अतिरिक्त महिलाओं के सहयोग से लघु–कुटरी ग्रामीण उद्योग, महिला शिक्षण संस्थान, महिला स्वरोजगार जागरूकता, स्वास्थ्य सम्बन्धी क्रिया–कलाप सहज और सक्रिय रूप से क्रियान्वित हो सकते हैं।

**निष्कर्ष** –

सम्पूर्ण पदानुक्रमिक विपणन व्यवस्था ही निम्नतर कड़ी 'हाट' का विकास महिलाओं की संगठित भागीदारी से तीव्रतर होगा और 'ग्रामीण हाट' विकसित होकर नगर से जुड़ जाएगा एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी भागीदारी महत्वपूर्ण हो जाएगी। अतः विद्वानों का कथन – ''एक महिला को शिक्षित करना अर्थात् एक परिवार को शिक्षित करना है'' यह सही है किन्तु समाज में महिलाओं की छिट–पुट भागीदारी को देखते हुए यह कहना और भी उचित जान पड़ता है कि ''एक महिला को शिक्षित करना अर्थात् एक पूरे परिवार को ही नहीं बल्कि एक समाज को शिक्षित करना है।'' इससे एक संगठित समाज की स्थापना होगी।

**संदर्भ सूचीः**–

1. R. Shikha 1993 Intensive field study : A case study of Rural Marketing system.
2. Obudho, R.A. 1983 Urbonization in Kenya : A Bottom up approach to Development Planning Washington D.C. University Press, of America.
3. महर्षि मनु इसापूर्व मनुस्मृति प्राचिन धार्मिक ग्रन्थ।

4. मानव संसाधन मंत्रालय 21.04.07 हिन्दुस्तान अखबार – ''बिहार के 11.78 फीसदी स्कुलों में ही लड़कियों के लिए अलग शौचालय''।
5. भारत सरकार 1993 राष्ट्रीय महिला कोष की योजनाएँ ''समकालीन राजनीतिक मुद्दे, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
6. भारत सरमार 1995 इन्दिरा महिला योजना ''समकालीन राजनीतिक मुद्दे, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
7. भारत सरकार 1998 महिला स्वषक्ति योजना ''समकालीन राजनीतिक मुद्दे, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
8. भारत सरकार 2000 स्त्री शक्ति पुरस्कार ''समकालीन राजनीतिक मुद्दे, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।